

बिहार BIHAR
31 MAY 2018

Z 697522

Book No. 45 Date 7.6.18

मेमोरेन्डम ऑफ अण्डरस्टेण्डिंग (एम.ओ.यू.)

यह एम.ओ.यू. आज दिनांक 07.06.2018 को में पक्षकारों

श्री राजकुमार साहू पुत्र स्व. श्री अश्रफी साहू, श्री सौम्या कुमार कांति एवं श्री कुमार मानवेन्द्र पुत्रान श्री राजकुमार साहू, निवासी–मोहल्ला नवरत्न, थाना के. हॉट, जिला पूर्णिया, बिहार को इस प्रलेख में प्रथम पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें प्रथम पक्ष के वारिसान, स्थानापन्न, प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित समझे जावेंगे।

एव

श्री संजय कुमार पुत्र स्व. श्री उपेन्द्र कुमार, जाति–ब्राहम्ण, उम्र– 55 वर्ष, निवासी–प्लाट नं. ए–147, गुरू जम्मबेश्वर नगर, गली नंबर 4, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर को इस प्रलेख में द्वितीय पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें द्वितीय पक्ष के वारिसान, स्थानापन्न, प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित समझे जावेंगे

के मध्य निम्नानुसार निष्पादित हुआ है कि :–

जो कि प्रथम पक्ष श्री राजकुमार साहू की पत्नि स्व. श्रीमती गीता देवी, जो कि श्री सौम्या कुमार कांति व श्री कुमार मानवेन्द्र की माता थी, के स्वामित्व व कब्जे की एक सम्पत्ति 4 कट्टा, 16 धुर, पूर्व से पश्चिम 61 फीट, उत्तर से दक्षिण 72.6 फीट, रजीन चौक, पूर्णिया, बिहार है, जो कि श्रीमती गीता देवी ने अपने जीवनकाल में जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 23.12.1997 श्री सूर्यकान्त दत्त, सम्पत कुमार दत्त व सन्त कुमार दत्त (स्वयं व बहैसियत मुख्त्यारआम अशोक कुमार दत्त व देव कुमार दत्त) पुत्रान स्व. श्री हरिनाथ दत्त निवासी–रजनी चौक भटटा, थाना के. हॉट, जिला पूर्णिया, बिहार से खरीद की थी।

Kumar. Manvendra
7/06/2018

7/6/18

7/6/2018

मेमोरेन्डम ऑफ अण्डरस्टेण्डिग (एम.ओ.यू.)

यह एम.ओ.यू. आज दिनांकको में पक्षकारों

श्री राजकुमार साहू पुत्र स्व. श्री अशरफी साहू, श्री सौम्या कुमार कांति एवं श्री कुमार मानवेन्द्र पुत्रान श्री राजकुमार साहू, निवासी–मोहल्ला नवरत्न, थाना के. हॉट, जिला पूर्णिया, बिहार को इस प्रलेख में प्रथम पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें प्रथम पक्ष के वारिसान, स्थानापन्न, प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित समझे जावेंगे।

एवं

श्री संजय कुमार पुत्र स्व. श्री उपेन्द्र कुमार, जाति–ब्राहम्ण, उम्र– 55 वर्ष, निवासी–प्लाट नं. ए–147, गुरू जम्मबेश्वर नगर, गली नंबर 4, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर को इस प्रलेख में द्वितीय पक्ष के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें द्वितीय पक्ष के वारिसान, स्थानापन्न, प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित समझे जावेंगे

के मध्य निम्नानुसार निष्पादित हुआ है कि :–

जो कि प्रथम पक्ष श्री राजकुमार साहू की पत्नि स्व. श्रीमती गीता देवी, जो कि श्री सौम्या कुमार कांति व श्री कुमार मानवेन्द्र की माता थी, के स्वामित्व व कब्जे की एक सम्पत्ति 4 कट्टा, 16 धुर, पूर्व से पश्चिम 61 फीट, उत्तर से दक्षिण 72.6 फीट, रजीन चौक, पूर्णिया, बिहार है, जो कि श्रीमती गीता देवी ने अपने जीवनकाल में जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 23.12.1997 श्री सूर्यकान्त दत्त, सम्पत कुमार दत्त व सन्त कुमार दत्त (स्वयं व बहैसियत मुख्त्यारआम अशोक कुमार दत्त व देव कुमार दत्त) पुत्रान स्व. श्री हरिनाथ दत्त निवासी–रजीन चौक भटटा, थाना के. हॉट, जिला पूर्णिया, बिहार से खरीद की थी।

SURESH CHANDRA PRASAD
1572/J/88
Muzaffarpur
BIHAR
INDIA
NOTARY

Kumar Manvendra 7/6/18

7/6/2018

7/6/2018

श्रीमती गीता देवी का देहान्त दिनांक 11.08.2014 को हो चुका है व प्रथम पक्ष ही श्रीमती गीता देवी के विधिक वारिसान है। स्व. श्रीमती गीता देवी अपने जीवनकाल में उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति के समस्त गृहकर इत्यादि नगर निगम, पूर्णिया में जमा करवाती रही है एवं उनकी मृत्यु के पश्चात नगर निगम पूर्णिया के गृह कर इत्यादि प्रथम पक्ष द्वारा ही जमा करवाये जा रहे है तथा सम्पत्ति प्रथम पक्ष के नाम दर्ज है।

जो कि द्वितीय पक्ष एक बिल्डर एवं लैण्ड डवलपर है जो प्रथम पक्ष की मालिकाना हक व कब्जे की सम्पत्ति (जिसके दस्तावेज प्रथम पक्ष द्वारा उपलब्ध करवाये गये है एवं जो इसी एम.ओ.यू. के साथ संलग्न है) पर प्रथम पक्ष के साथ एक संयूक्त रूप से रिहायशी बहु मंजिला इमारत का निर्माण करना चाहता है। इस हेतु पक्षकारों के मध्य इस एम.ओ.यू. के द्वारा निम्न शर्ते तय की गई है :–

1. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा (योजना से सम्बन्धित भूमि के) अपने स्वामित्व व कब्जे सम्बन्धी समस्त दस्तावेज मय नगर निगम में अब तक जमा करवाई गई समस्त राशि (गृहकर इत्यादि) की रसीदें द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करवा दी है। आज दिनांक के उपरान्त किसी प्रकार की कोई सरकारी बकाया देय राशि की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।

2. यह कि पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से यह तय किया गया है कि योजना के निर्माण अथवा अन्य खर्चो बाबत् किसी भी प्रकार की कोई लागत या देय राशि के भुगतान एवं योजना सम्बन्धी आवश्यक सरकारी, अर्द्ध सरकारी, निजी, अनुमति/आदेश इत्यादि की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी तथा इसका सम्पूर्ण खर्चा द्वितीय पक्ष वहन करेगी। प्रथम पक्ष आवश्यकतानुसार किसी प्रकार के दस्तावेज निष्पादन एवं अन्य सहयोग हेतु सदैव तत्पर रहेगा।

3. यह कि पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से यह किया गया है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना मानचित्र में दोनों पक्षों का निर्मित कुल भाग/बिल्डिंग में बराबर का हिस्सा होगा जिसें योजना मानचित्र में निर्धारित कर बराबर बांट लिया जावेगा। दोनों पक्षों के पृथक पृथक विशिष्ट हिस्से का निर्धारण योजना के अंतिम नक्शे, (APPROVED MAP) में आपसी सहमति से किया जावेगा। योजना से सम्बन्धित नक्शे इत्यादि पास करवाने, निर्माण सम्बन्धी आवश्यक अनुमति एवं खर्चे इत्यादि की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

7/6/18

7/6/18

7/6/2018

7.6.18

SURESH CHANDRA PRASAD
1572/J/88
Muzaffarpur
BIHAR
INDIA
NOTARY

4. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा उपरोक्त एम.ओ.यू. के साथ द्वितीय पक्ष को एक मुख्त्यारनामा खास इस आशय का पंजीकृत कर सुपुर्द किया जावेगा कि वह योजना बाबत् आवश्यक समस्त कार्यवाही प्रथम पक्ष की ओर से प्रभावी ढंग से कर सके तथा नगर निगम द्वारा योजना सम्बन्धी नक्शें के स्वीकृति उपरान्त प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को उसके हिस्से तक के भाग के बेचान, हस्तान्तरण, बुकिंग इत्यादि बाबत् एक पंजीकृत मुख्त्यारनामा निष्पादित करवायेगा।

5. यह कि पक्षकार प्रस्तावित योजना में अपने अपने हिस्से तक (According To Approved Map) का बेचान, हस्तान्तरण इत्यादि करने हेतु स्वतंत्र होगे, जिसकी जानकारी यथासंभव दोनों पक्षकार एक दूसरे को प्रदान करेंगे। प्रथम पक्ष द्वारा उपरोक्त एम.ओ.यू. के साथ द्वितीय पक्ष को एक मुख्त्यारनामा खास इस आशय का पंजीकृत कर सुपुर्द किया जावेगा। जिसके आधार पर द्वितीय पक्ष अपने हिस्से को बैचान करने हेतु स्वतंत्र होगा।

6. यह कि पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से योजना की पूर्णता अवधि 16 माह निर्धारित की गई है, जिसे आपसी सहमति से बढाया/घटाया जा सकेगा।

7. यह कि यदि प्रथम पक्ष के योजना सम्बन्धी भूमि के स्वामित्व में किसी प्रकार के कोई दोष अथवा त्रुटि पाई जाती है जिस कारण द्वितीय पक्ष को किसी प्रकार का कोई आर्थिक नुकसान होता है तो उसकी समस्त भरपाई प्रथम पक्ष द्वारा की जावेगी। इसी प्रकार द्वितीय पक्ष द्वारा एम.ओ.यू. में निर्धारित किसी शर्त की पालना नहीं की जाती है, जिससे द्वितीय पक्ष को कोई आर्थिक नुकसान होता है तो उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष द्वारा की जावेगी।

8. यह कि दोनों पक्ष एम.ओ.यू. में निर्धारित शर्तो की पूर्ण पालना प्रभावी कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत करने हेतु बाध्य है एवं पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति में उपरोक्त वाद विवाद का निपटारा जरिये ~~मध्यस्थ~~ किये जाने पर सहमत है।

अतः यह मेमोरेन्डम ऑफ अण्डरस्टेण्डिग (एम.ओ.यू.) दोनों पक्षकारान ने अपनी, राजीखुशी, पूर्ण होश हवास, बिना किसी जोर, दबाव व नशे के निष्पादित कर दिया है, जो वक्त जरूरत काम आवें। इति दिनांक

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

7/6/2018

Jaikumar Manvendra

7/6/2018

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

7/6/2018

The Deponents Identified by the Advocate solemly Affirmed & Declared before me that the contents of this affidavit are true to the best of his/her/ their Knowledge

S. C. Prasad
ADVOCATE & NOTARY
MUZAFFARPUR

7.6.18

गवाह —